

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुरज केवा

बनाम

रघुवीर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

215/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सुरज केवा</u></p> <p>पिता श्री <u>रघुवीर सिंह सोलंकी</u></p> <p>बिवासी- <u>डुवावा नर. 826</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>डुवावा</u></p> <p><u>सोलावा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>826</u> <u>4.45</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>4.45</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>डुवावा (सोलावा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>826</u> <u>4.45</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>4.45</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रूपये अक्षरे <u>5</u> <u>हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>बिजू देवान</u> सहायक रजिस्टर एड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>